

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1654] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 1, 2016/आषाढ़ 10, 1938 No. 1654] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 1, 2016/ASHADHA 10, 1938

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2016

का.आ. 2284(अ).—पशुधन आयात अधिनियम, 1898 (1898 का अधिनियम 9), की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्दारा 20 अक्टूबर, 2008 के भारत के राजपत्र असाधारण भाग-II खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 15 अक्टूबर, 2008 की अधिसूचना का.आ. 2482(अ.) द्वारा जारी भारत में लिटोपिनियस वेन्नामई के आयात के लिए जलीय संगरोध के संचालन के तरीकों को विनियमित करने वाले दिशानिर्देशों में निम्नलिखित संशोधन करती है. नामत:—

उक्त अधिसूचना में पैराग्राफ 3.0 में प्रविष्टि 7 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि शामिल की जायेगी, नामत:—

"8, एक्यूट हिपेटोपैनक्रिएटिक नेक्रोसिस रोग (एएचपीएनडी) (ओआईई सूचीबद्ध)"।

[फा. सं. 35029/4/2008-मा (टी एण्ड ई)]

आदित्य कुमार जोशी, संयुक्त सचिव

3306 GI/2016

(1)

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2016

S.O. 2284(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Livestock Importation Act, 1898 (Act 9 of 1898), the Central Government hereby makes the following amendment to the guidelines regulating the method of operation of aquatic quarantine for the import of *Litopenaeus vannamei* into India published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii) dated 20^{th} October, 2008 vide notification S.O. 2482(E) dated the 15^{th} October, 2008, namely:—

In the said notification, in the paragraph 3.0, after entry 7, the following entry shall be inserted, namely:—

"8. Acute hepatopancreatic necrosis disease (AHPND) (OIE listed).".

[F. No. 35029/4/2008-Fy (T&E)]

ADITYA KUMAR JOSHI, Jt. Secy.